

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की सूचना का प्रस्तुतीकरण

अवधि : अप्रैल, 2006 से 30 जून, 2006

क्र .सं.	सीआईसी द्वारा मांगी गयी सूचना का विवरण	
क)	प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या	14
ख)	उन फैसलों की संख्या, जहां आवेदन में दस्तावेजों के लिए किए गए अनुरोध के वे हकदार नहीं थे, अधिनियम के वे प्रावधान जिनके अंतर्गत ये फैसले लिए गए थे तथा कितनी बार ऐसे प्रावधानों का अवलंब किया गया ।	धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (जे) के तहत
ग)	समीक्षा हेतु केंद्रीय सूचना आयोग को भेजी गई अपीलों की संख्या, अपीलों का प्रकार तथा अपीलों के परिणाम ।	-
घ)	इस अधिनियम के उपयोग के संदर्भ में किसी भी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण ।	शून्य
च)	इस अधिनियम के तहत प्रत्येक जन-प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गयी प्रभार की राशि ।	रु. 140/-
छ)	जन-प्राधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के भाव एवं अभिप्राय के प्रयोग एवं कार्यान्वयन हेतु किए गए प्रयासों का विवरण ।	#
ज)	सुधार हेतु उचित सुझाव, इसमें ऐसे सुझाव भी शामिल हैं जो विकास, उन्नति, आधुनिकीकरण, अधिनियम के संशोधन अथवा अन्य विधान, निर्माण अथवा सामान्य कानून अथवा सूचना प्राप्ति के अधिकार के क्रियान्वयन हेतु किसी अन्य मामले से संबद्ध हो ।	-

जन प्राधिकारी ने इस से संबंधित सूचना वेबसाइट <http://www.barc.ernet.in> पर उपलब्ध करवा दी है और एक जन सूचना अधिकारी एवं चार सहायक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है जिनके संपर्क विवरण भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

सूचना का अधिकार, अधिनियम के कार्यान्वयन पर जून, 2006 तक की रिपोर्ट
Report on Implementation of RTI Act upto June 2006

इकाई का नाम : भापअ केंद्र

अप्रैल, 2006 से जून 2006 की अवधि के दौरान प्राप्त अनुरोध ।

क्र.सं.	पार्टी	विषय / Subject प्रश्न का संक्षिप्त विवरण	प्राप्ति की तारीख	प्राप्त राशि	भुगतान की विधि	की गई कार्रवाई	अभ्युक्ति
1.	श्री संतोष राणे	(क) ड्रायवर्स भर्ती के संबंध में कैट, मुंबई शाखा में जाने वाले याचिकाकर्ताओं के नाम एवं, डाक का पता । (ख) उच्च न्यायालय में कौन गया, याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादी कैट का निर्णय आदि ।	07.04.06	रु./10	डीडी	सूचना उपलब्ध कराई गई	
2	श्री आर.के. गुप्ता	(क) केवल 22 घंटों के पश्चात् नियंत्रक, भापअ केंद्र ने किस प्रकार पता लगाया कि फैक्स कटाफटा है और अपठनीय है । (ख) उनका दिनांक 3/2/06 का पुनः किया हुआ फैक्स प्राप्त नहीं हुआ ऐसा कह कर डीईओ/एचआरडी /एसआरएण्डडब्ल्यू ने दुर्भावनावश किस प्रकार उनके साथ दुर्व्यवहार किया एवं उन्हें गुमराह किया तथा उनसे दि. 5/4/2006 को फिर फैक्स करवाया । (ग) दि. 10/3/2006 के उनसे कटेफटे एवं अपठनीय फैक्स उन्हें उपलब्ध करने बाबत अनुरोध ।	10.04.06	रु. 10	नकद	प्रश्न का उत्तर दिया गया	

इकाई का नाम : भापअ केंद्र

अप्रैल, 2006 से जून 2006 की अवधि के दौरान प्राप्त अनुरोध ।

3	श्रीमती दीपाली सातपुते	वैज्ञानिक सहायक - सी (मेडिकल सोशियल वर्कर) के पद हेतु संपन्न साक्षात्कार का परिणाम	12.04.06	रु.. 10	डी.डी.	सूचना उपलब्ध कराई गई ।	
4	श्री अमर सिंह	उनके पूरे एवं अंतिम निपटान हेतु कार्तिकेयन द्वारा भुगतान की गयी बंधपत्र राशि बाबत ।	13.04.06	रु.. 10	नकद	सूचना उपलब्ध कराई गई ।	
5	श्री किशोर सिंह	(क)जनहित की परिभाषा . (ख) पास पोर्ट हेतु आवेदन लौटाने वाला पत्र किसने भेजा उसकी जानकारी, जिसमें किसी के हस्ताक्षर अथवा संदर्भ संख्या नहीं है । (ग) उनके सीआर में विपरीत अभ्युक्ति एवं आरएमपी मैसूर में स्थानांतरण बाबत ।	19.04.06	रु. 10	नकद	सूचना उपलब्ध कराई गई ।	
6	श्री सचेतन घरात	दि. 1 मार्च, 2006 की भापअ केंद्र की आपदा प्रबंधन योजना बाबत	27.04.06	रु. 10	नकद	सूचना उपलब्ध कराई गई ।	
7	श्री आर.के. गुप्ता	विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट	12.05.06	रु. 10	नकद	सूचना उपलब्ध कराई गई ।	
8	श्री आर.के. गुप्ता	उनके उपचार के बारे में सात प्रश्न	16.05.06	रु. 10	नकद	सूचना उपलब्ध कराई गई ।	
9	श्री किशोर सिंह	उनके आरएमसी मैसूर में स्थानांतरण एवं सीआर में प्रतिकूल अभ्युक्ति बाबत	25.05.06	रु. 10	नकद	प्रश्न का उत्तर दिया गया ।	

इकाई का नाम : भापअ केंद्र
Name of the Unit: BARC

अप्रैल, 2006 से जून 2006 की अवधि के दौरान प्राप्त अनुरोध ।
Request received during the period : April-2006 to June 2006

10	श्री के.वी. नाझरे	(क) बीएआरसी संबद्ध कार्यालय है या अधीनस्थ कार्यालय । (ख) टी.सी. को दिया गया अधिदेश क्या है ? (ग) टीएससी को दिया गया अधिदेश क्या है ?	31.05.06	रु. 10	नकद	सूचना उपलब्ध कराई गई ।	
11	श्री सुमित कुमार मन्ना	बीएससी सहित पुस्तकालय में स्नातक की न्यूनतम अहंता वालों के लिए विभागीय पुस्तकालयों हेतु प्रवेश स्तर वेतनमान के बारे में सूचना	29.05.06	रु./Rs. 10	डीडी	पत्रावलि को अग्रेषित	
12	श्री आर.के. गुप्ता	श्री बी.एस. लांबा, पूर्व निदेशक (प्रचालन) भारी पानी बोर्ड के मेडिकल केस की फोटो प्रतियाँ	01.06.06	रु. 10	नकद	सूचना देने से मना किया	अनुभाग एक 34 अनुभाग (1) के खण्ड (j) के तहत
13	डॉ. हर्षद खोब्रागडे	श्री विजय कदम, ट्रेड्समैन/ई, टीएसडी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बारे में जानकारी चाहने बाबत	13.06.06	रु..10	डीडी	प्रश्न का उत्तर दिया गया	
14	श्री आर.के. गुप्ता	सीएचएसएस के तहत भारत के बाहर उनके उपचार हेतु क्यों मना किया गया	29.06.06	रु. 10	नकद	प्रक्रियारत	